न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 261/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

अनुग्रहित बाबा – विक्रेता

शिशिर आईन्द – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
09.03.19	**आदेश**	

आवेदक अनुग्रहित बाबा पति स्व0 इम्मानुएल बाबा ग्राम–बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने शिशिर आईन्द पति राम सिंह हेमरोम ग्राम–कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	90	2141	0.09

अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 824 दिनांक 03.11.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक महिला है। सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य अनुसार अनुसूचित जनजाति विशेष कर मुण्डा एवं उरांव जाति में पैतृक संपत्ति में उतराधिकारी का नियम इनके स्थापित एवं मान्य रीति रिवाज के अनुसार निर्धारित होता है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नही होता है। उत्तराधिकारी नियम से ये वंचित होते है। परिवार में विधवा एवं अविवाहित पुत्री को मात्र जीवन यापन का अधिकार होता है जबकि विवाहित पुत्री इस लाभ से भी वंचित हो जाती है। ऐसे में विक्रेता को आवेदित भूमि की बिक्री का अधिकार नहीं है।

अतः सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

09/03/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/03/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।